

उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स अधिनियम, 1963

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1963 ई०)

**THE UTTAR PRADESH HOME GUARDS
ADHINIYAM, 1963**

(U.P. Act No. XXIX of 1963)

उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स अधिनियम, 1963¹

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1963 ई०]

उ० प्र० अधिनियम संख्या 4, 1972

द्वारा संशोधित

[उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने दिनांक 24 सितम्बर, 1963 ई०, उत्तर प्रदेश विधान सभा ने संशोधन सहित दिनांक 18 दिसम्बर, 1963 ई० तथा पुनः उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा किये गये संशोधनों सहित दिनांक 23 दिसम्बर, 1963 ई० की बैठक में स्वीकृत किया ।

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 30 दिसम्बर, 1963 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 31 दिसम्बर, 1963 ई० को प्रकाशित हुआ ।]

उत्तर प्रदेश में होम-गार्ड्स के संघटन की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

यह इष्टकर है कि उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स के नाम से एक दल के संघटन की व्यवस्था की जाय जिसकी सेवाओं का उपयोग आपातकाल में विभिन्न कर्तव्यों के लिये किया जा सके और जो शान्ति और सुव्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस दल के सहायक के रूप में भी काम कर सके

अतएव, भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स अधिनियम, 1963 कहलायेगा ।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

2—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में :—

² [(क) “जिला कमान्डेन्ट” का तात्पर्य किसी जिले में होम-गार्ड्स के समादेशाधिकारी से है ;]

(ख) होम-गार्ड के रूप में “कर्तव्य” या “सेवा” के अन्तर्गत इस रूप में प्रशिक्षण लेना भी है ;

(ग) असार्वजनिक सेवा के सम्बन्ध में “सेवायोजक” का तात्पर्य नियोजक से है, और इसके अन्तर्गत उसका अधिकृत एजेन्ट या प्रबंधक भी है, और निगम, फर्म या व्यक्तियों के अन्य संघ की दशा में, इसके अन्तर्गत उसका निदेशक, भागीदार, प्रबन्धक सचिव या अन्य व्यक्ति भी है जो किसी निर्दिष्ट समय में उसके कारोबार के संचालन के लिए प्रभारी हो या उसके प्रति उत्तरदायी हो ;

(घ) “अत्यावश्यक सेवाओं” का तात्पर्य मोटर परिवहन, अग्रगामी एवं अभियंत्रण दल, अग्निशामक दल, उपचार, प्राथमिक चिकित्सा, जल एवं विद्युत् सम्भरण अधिष्ठान का

प्रस्तावना

संक्षिप्त शीर्षनाम,
प्रसार तथा प्रारम्भ

परिभाषाएं

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए दिनांक 9 सितम्बर, 1963 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिए ।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 4, 1972 ई० की धारा 2 (1) द्वारा रखे गए ।

परिचालन और ऐसी अन्य सेवाओं से है, जो राज्य सरकार द्वारा सामुदायिक जीवन के लिए अत्यावश्यक विज्ञापित की जायें ;

(ड) "होम-गार्ड" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो इस रूप में भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी भी है ;

(घ) "पुलिस" का वही तात्पर्य होगा जो पुलिस ऐक्ट, 1861 में शब्द "Police" के लिए दिया गया हो ; ऐक्ट संख्या 4, 1861

(छ) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है ;

(ज) "असार्वजनिक सेवा" का तात्पर्य राज्य के अधीन सेवा से भिन्न किसी सेवा से है ;

(झ) 1[* * *]

(ञ) "राज्य के अधीन सेवा" का तात्पर्य 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 12 से यथापरिभाषित 'राज्य' के अधीन सेवा से है और इसके अन्तर्गत परिनियत निगमों के अधीन सेवा भी है ;

(ट) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है ।

(ठ) 1[* * *]

3—उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स नाम से, जिसे आगे "होम-गार्ड्स" कहा गया है, एक स्वयं सेवक दल का निर्माण और अनुरक्षण किया जायगा और ऐसी रीति से संघटित किया जायगा जो नियत की जाय ।

होमगार्ड्स का संघटन

4—होम-गार्ड्स के निम्नलिखित कृत्य होंगे : —

कृत्य

(क) वे पुलिस दल के सहायक के रूप में काम करेंगे और अपेक्षा किये जाने पर सार्वजनिक व्यवस्था तथा आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने में सहायता करेंगे ;

(ख) वे हवाई हमलों, आग लगने, बाढ़ आने, महामारी फैलने और अन्य आपातों के समय लोक-समाज की सहायता करेंगे ;

(ग) वे ऐसे विशिष्ट कार्यों के लिए, जो नियत किये जायें, आपातकालीन दल के रूप में कार्य करेंगे ;

(घ) वे अत्यावश्यक सेवाओं के लिए कार्यात्मक इकाइयों की व्यवस्था करेंगे ; और

(ङ) वे लोक-कल्याण के किसी कार्य से सम्बद्ध ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेंगे जो नियत किये जायें ।

5—राज्य सरकार, होम-गार्ड से के कमान्डेन्ट जनरल, जिसे आगे "कमान्डेन्ट जनरल" कहा गया है, और अन्य अधिकारियों को ऐसी शर्तों पर नियुक्त करेगी जो नियत की जायें ।

कमान्डेन्ट जनरल और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति

6—(1) होम-गार्ड्स का अधीक्षण राज्य सरकार में निहित होगा ।

होम-गार्ड्स का अधीक्षण और प्रशासन

(2) संपूर्ण राज्य में होम-गार्ड्स का प्रशासन कमान्डेन्ट जनरल में निहित होगा, सिवाय किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में जिसे राज्य सरकार एतदर्थ विज्ञप्ति द्वारा

अपवर्जित कर दे, और इस प्रकार अपवर्जित किसी स्थानीय क्षेत्र के होमगार्ड्स का प्रशासन करने के लिए नियुक्त कोई अधिकारी उस क्षेत्र के सम्बन्ध में उसी प्रकार के अधिकारों का प्रयोग करेगा जिनका कमान्डेन्ट जनरल राज्य के शेष भाग में करे।

¹[(3) जिला मजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण तथा निदेश के अधीन रहते हुए, किसी जिले में होम-गार्ड्स का प्रशासन जिला कमान्डेन्ट में निहित होगा और उसके द्वारा किया जायेगा।]

7-(1) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जायें, कोई व्यक्ति जो होमगार्ड के रूप में भर्ती होने का इच्छुक हो, नियत प्रपत्र में प्रार्थना-पत्र देगा। यदि ऐसा प्रार्थी असार्वजनिक सेवा में हो तो वह उक्त प्रार्थना-पत्र अपने सेवायोजक के माध्यम से या यदि वह राज्य के अधीन सेवा में हो तो, उस प्राधिकारी के माध्यम से देगा जो उसे दल में सम्मिलित होने की अनुमति देने के लिए सक्षम हो।

भर्ती आदि

(2) होम-गार्ड को औपचारिक रूप से भर्ती किया जायगा और भर्ती हो जाने पर वह प्रथम अनुसूची में दिये गये प्रपत्र में घोषणा करेगा और द्वितीय अनुसूची में दिये गये प्रपत्र में नियुक्ति का प्रमाण-पत्र पायेगा, जिस पर ऐसे अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर होंगे जो नियत किया जाये और जिसके आधार पर उसे होम-गार्ड के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों से निहित किया जायगा तथा उसे होम-गार्ड के कर्तव्यों का पालन करना होगा।

(3) होम-गार्ड्स के अधिकारी और अन्य सदस्य ऐसी वर्दी पहनेंगे जो नियत की जाय।

8-इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए -

होम-गार्ड्स को बुलाना

(क) ²[जिला मैजिस्ट्रेट या जिला कमान्डेन्ट आदेश] द्वारा जिले में तैनात किसी इकाई से सम्बद्ध किसी होम-गार्ड को जिले के भीतर किसी क्षेत्र में काम के लिए बुला सकता है ;

(ख) होम-गार्ड्स का कमान्डेन्ट जनरल या ऐसा अन्य अधिकारी जो उसके द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत किया जाय, किसी होम-गार्ड को राज्य के किसी भाग में अथवा राज्य के बाहर काम के लिए बुला सकता है।

9-(1) इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जब कोई होम-गार्ड धारा 8 के अन्तर्गत पुलिस के सहायक के रूप में काम करने के लिए या आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने में सहायता करने के लिए बुलाया जाय, तो उसे वहीं अधिकार, विशेषाधिकार और संरक्षण प्राप्त होंगे जो तत्समय प्रचलित किसी अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी पुलिस अधिकारी को प्राप्त हों और ऐसे अनुमेलनों तथा परिष्कारों के अधीन रहते हुए जो गजट में विज्ञप्ति द्वारा राज्य सरकार उसमें करे, उस पर पुलिस ऐक्ट, 1861 और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों या विनियमों के उपबन्ध उसी रीति से और उसी सीमा तक लागू होंगे मानों ऐसा होम-गार्ड पुलिस दल में तदनु रूप पद धारण किया था जो वह तत्समय होम-गार्ड्स में किये हुए है।

होम-गार्ड्स के अधिकार, विशेषाधिकार और संरक्षण

ऐक्ट सं० 5, 1861

1. उ०प्र० अधिनियम संख्या 4, 1972 की धारा 3 द्वारा रखा गया।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 4, 1972 की धारा 4 द्वारा रखे गए।

(2) होम-गार्ड के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करने में उसके द्वारा किये गये या किये जाने के लिए अभिप्रेत किसी कार्य के सम्बन्ध में किसी होम-गार्ड के विरुद्ध कोई अभियोजन तब तक न चलाया जायगा जब तक कि उस क्षेत्र पर, जहां होम-गार्ड भर्ती किया गया हो या जहां उक्त कार्य किया गया हो, क्षेत्राधिकार रखने वाले जिला मैजिस्ट्रेट की पूर्व स्वीकृति न ले ली जाये।

10-इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निर्वहन करने वाला होम-गार्ड इण्डियन पीनल कोड की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जायगा।

स्पष्टीकरण— होम-गार्ड के रूप में अपनी भर्ती होने के ही कारण होम-गार्ड असैनिक पद धारण करने वाला न समझा जायगा।

होमगार्ड्स
लोकसेवक होंगे,
किन्तु असैनिक
सेवक नहीं होंगे
ऐक्ट सं० 45, 1860

11-(1) होम-गार्ड, एतदर्थ बनाये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक होम-गार्ड्स की किसी ऐसा इकाई में सेवा करने के लिए बाध्य होगा जिससे वह तत्समय सम्बद्ध हो।

सेवा करने का
दायित्व

(2) आरम्भिक अवधि, जिसमें होम-गार्ड से सेवा करने की अपेक्षा की जा सकती है, उसकी भर्ती के दिनांक से तीन वर्ष होगी। यह अवधि उसकी नियत रीति से लेखबद्ध सहमति से बढ़ायी जा सकती है।

(3) प्रत्येक होम-गार्ड, जब वह नियत रीति से काम के लिए बुलाया जाय, राज्य के किसी भाग में सेवा करने के लिए बाध्य होगा। किसी भी होमगार्ड से राज्य के बाहर सेवा करने की तब तक अपेक्षा न की जायेगी जब तक कि उसने ऐसी सेवा के लिए नियत रीति से अपनी सहमति न दे दी हो।

(4) काम के लिए बुलाए गए होम-गार्डों को ऐसा दैनिक भत्ता दिया जायेगा जो नियत किया जाय।

(5) होम-गार्डों की साधारणतया उन क्षेत्रों में, जहां वे भर्ती किये गये हों, सेवा करने के लिए और केवल अंशकालिक काम के लिए बुलाया जायेगा।

12-(1) कमान्डेन्ट जनरल या एतदर्थ नियत कोई अन्य अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार होम-गार्ड्स के किसी सदस्य को सेवोन्मुक्त या निलम्बित करने का अधिकार होगा। कोई होम-गार्ड ऐसे अधिकारी की, जो नियत किया जाय, एक मास का नोटिस देकर दल से त्याग-पत्र दे सकता है।

सेवोन्मुक्ति,
निलम्बन और
त्याग-पत्र

(2) अन्तिम पूर्वगत उपधारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक होम-गार्ड धारा 11 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर होम-गार्ड से अपनी सेवोन्मुक्ति पाने का हकदार होगा।

(3) प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी कारण से होम-गार्ड्स का सदस्य न रह जाय, कमान्डेन्ट जनरल को या ऐसे अधिकारी को ऐसे स्थान पर जो नियत किया जाये या जिन्हें कमान्डेन्ट जनरल निदेशित करें, अपनी नियुक्ति का प्रमाण-पत्र और शस्त्रास्त्र, साज-सज्जा, वस्त्र और अन्य वस्तुएं, जो उसे ऐसे सदस्य के रूप में दिये गये हों, तुरन्त लौटा देगा।

(4) कोई मजिस्ट्रेट, इस प्रकार न लौटाये गये किसी प्रमाण-पत्र, शस्त्रास्त्र, साज-सज्जा, वस्त्र या अन्य वस्तुओं की, जहां-जहां भी वे पाये जायें, तलाशी लेने और

ऐक्ट संख्या 5,
1898

उन्हें अधिगृहीत करने के लिए वारन्ट जारी कर सकता है । इस प्रकार जारी किया गया प्रत्येक वारन्ट कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1898 के उपबन्धों के अनुसार पुलिस अधिकारी द्वारा, अथवा यदि वारन्ट जारी करने वाला मैजिस्ट्रेट इस प्रकार निदेश दे तो, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, निष्पादित किया जायगा ।

(5) इस धारा की कोई बात किसी ऐसी वस्तु पर लागू समझी जायगी जो कमान्डेन्ट जनरल के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन उस व्यक्ति की सम्पत्ति हो गयी हो जिसे वह दी गयी थी ।

13—(1) यदि कोई होम-गार्ड —

शास्तियां

(क) धारा 8 के अधीन काम पर बुलाये जाने पर उपस्थित न हो ; या

(ख) अपने वरिष्ठ प्राधिकारीया अन्य सक्षम अधिकारी के किसी वैध आदेश या निदेश का बिना पर्याप्त कारण के पालन करने में उपेक्षा करे या इन्कार करे या जब वह काम पर हो तो होम-गार्ड्स के सदस्य के रूप में अपने कृत्यों का निर्वहन न करे ; या

(ग) अपना पद अभित्यक्त कर दे ; या

(घ) कायरता का दोषी हो ; या

(ङ) अपनी अभिरक्षा में किसी व्यक्ति के साथ अनमुक्त शारीरिक बल प्रयोग करे ;

तो वह प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट द्वारा सिद्ध—दोष ठहराये जाने पर, किसी भी प्रकार के कारावास के दण्ड से दण्डित होगा जो तीन मास तक की अवधि का हो सकता है या अर्थ दण्ड से दण्डित होगा जो दो सौ रूपए तक का हो सकता है अथवा दोनों से दण्डित होगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति जान-बूझकर धारा 12 की उपधारा (3) का पालन करने में उपेक्षा करे या उसका पालन न करे, तो वह सिद्ध—दोष ठहराये जाने पर, किसी भी प्रकार के, कारावास के दण्ड से दण्डित होगा जो तीन मास तक का हो सकता है या अर्थ—दण्ड से दण्डित होगा जो दो सौ रुपये तक का हो सकता है अथवा दोनों से दण्डित होगा ।

(3) कमान्डेन्ट जनरल या ऐसे अन्य अधिकारी को, जो एतदर्थ नियत किया जाय, पूर्व स्वीकृति के बिना, उपधारा (1) या (2) के अधीन कोई अभियोजन न चलाया जायगा ।

(4) ¹[जिला कमान्डेन्ट] के प्रतिवेदन पर, पुलिस अधिकारी किसी वारन्ट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो उपधारा (1) या (2) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियुक्त हो ।

(5) जब अधिकारी से भिन्न होम गार्ड्स का सदस्य उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध करता है, तो ²[जिला कमान्डेन्ट] या ऐसा अन्य अधिकारी, जो नियत किया जाय, जिसके अधीन उक्त सदस्य तत्समय काम कर रहा हो, यह निदेश दे सकता है कि दोषारोपण पर औपचारिक सुनवाई के बिना कार्यवाही की जायगी और तदुपरान्त उक्त कमान्डेन्ट या अन्य अधिकारी उसे निम्नलिखित में से कोई एक या एक से अधिक दण्ड दे सकता है, अर्थात् —

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 4, 1972 की धारा 5 (1) द्वारा रखे गये ।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० उपर्युक्त की धारा 5 (2) द्वारा रखे गए ।

(क) दो दिन से अनधिक अवधि के लिये ऐसे स्थान पर अवरोध जो उपयुक्त समझा जाय ;

(ख) सात दिन से अनधिक अवधि के लिये क्वार्टरों में अवरोध सहित या अवरोध रहित दण्ड-स्वरूप कवायद (ड्रिल), अतिरिक्त कार्य, कठोर परिश्रम (फेटीग) या अन्य काम ; और

(ग) भत्तों की जब्ती ।

14—(1) उस स्थिति के अधीन रहते हुए जो नियत की जाय प्रत्येक सेवायोजक ऐसे होम-गार्ड को जो तत्समय उसके द्वारा या उसके अधीन सेवायोजित किया जा रहा हो, होम-गार्ड के रूप में अपना कार्य ग्रहण करने की अनुमति देगा और किसी प्रचलित विधि या ऐसे अनुबन्ध में जो उसके और ऐसे होम-गार्ड के बीच हो, किसी बात के होते हुये भी उसकी कार्य अवधि, ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुये, जो नियत किये जायें, ऐसे सेवायोजन में व्यतीत की गयी अवधि समझी जायगी ।

होमगार्ड को कार्य ग्रहण करने की अनुमति देने पर सेवायोजक का दायित्व

(2) कोई भी सेवायोजक किसी कर्मचारी को उसके होम-गार्ड्स का सदस्य होने के कारण न तो पदच्युत करेगा, न हटायेगा, न उसे निलम्बित करेगा और न कोई ऐसी अन्य कार्यवाही करेगा जो ऐसे कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले ।

(3) जो कोई उपधारा (1) या (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह अर्थ दण्ड से दण्डित किया जायगा जो दो सौ पचास रूपयें तक का हो सकता है और जिस न्यायालय द्वारा सेवायोजक इस धारा के अधीन सिद्ध-दोष ठहराया जाय वह सेवायोजक को यह भी आदेश दे सकता है कि वह उक्त कर्मचारी को उस दर, जिस पर उसका अन्तिम पारिश्रमिक सेवा-योजक द्वारा उसे देय था या तीन मास से अनधिक के पारिश्रमिक का भुगतान करे और भुगतान किये जाने के लिये न्यायालय द्वारा इस प्रकार दिये गये आदेश की कोई धनराशि उसी प्रकार वसूल की जा सकेगी मानो वह ऐसे न्यायालय द्वारा आरोपित अर्थ-दण्ड हो ।

(4) इस धारा की कोई बात किसी सेवायोजक पर तब तक लागू न होगी जब तक कि उसने सम्बद्ध कर्मचारी का होम-गार्ड्स के सदस्य के रूप में भर्ती होने के लिए प्रार्थना-पत्र आगे न बढ़ाया हो, या कर्मचारी ने उसको सेवायोजन के लिए प्रार्थना-पत्र देते समय होम-गार्ड्स का सदस्य होने को सूचना न दे दी हो ।

15—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए और इसके उपबन्धों को सामान्यतया प्रभावी बनाने के लिए नियम बना सकती है ।

नियम और विनियम बनाने का अधिकार

(2) विशेषतः तथा पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है या उन्हें विनियमित किया जा सकता है, अर्थात् :-

(क) होम-गार्डों का संघटन, उनकी अर्हताएं, भर्ती की रीति, स्वास्थ्य परीक्षा, कृत्य, अनुशासन, शस्त्रास्त्र, साज-सज्जा, वस्त्र और वर्दी और रीति जिसके अनुसार वे सेवा के लिए बुलाए जायें या उनसे प्रशिक्षण लेने की अपेक्षा की जाय ;

(ख) धारा 9 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए होम-गार्डों द्वारा पुलिस अधिकारी के अधिकारों का प्रयोग करना और होम-गार्डों तथा पुलिस कर्मचारियों के बीच पदों की अनुरूपता ;

(ग) शर्तें जिनके अधीन कोई व्यक्ति अधिनियम या उसके किसी विशेष उपबन्धों के अधीन किसी आभार या दायित्व से मुक्त किया जा सकता है ;

(घ) इस अधिनियम द्वारा राज्य सरकार को प्राप्त अधिकारों और कृत्यों का कमान्डेन्ट जनरल और अन्य प्राधिकारियों को प्रतिनिधान ; और

(ङ) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन नियत किया जाना हो या जो नियत किया जाय।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन को अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई वाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में उनके प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के सदन करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

प्रथम अनुसूची

[धारा - 7 (2)]

घोषणा का प्रपत्र

मै-----आत्मज-----निवासी-----एतद् सत्यनिष्ठा से घोषणा और प्रतिज्ञान करता हूँ कि मै उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स के सदस्य के रूप में जिसके कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को मैने पूरी जानकारी से ग्रहण किया है भर्ती किये जाने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए, जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षण में व्यतीत की गयी अवधि भी है (यह अवधि मेरी सहमति से राज्य सरकार द्वारा बढ़ायी जा सकती है), वस्तुतः सेवा करूंगा और मैं वह भी वचन देता हूँ कि मै बढ़ाई गयी अवधि में उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स के सदस्य के रूप में किसी भी समय या किसी भी स्थान पर सेवा करूंगा यदि मुझे ऐसी अवधि में काम पर बुलाया गया। मैं होमगार्ड के सदस्य के कर्तव्यों का पालन पूरी दक्षता और जानकारी से करूंगा और अपने जीवन का जोखिम होते हुये भी सदैव भारतीय संविधान तथा राष्ट्रध्वज के सम्मान की रक्षा के लिए उद्यत रहूँगा।

हस्ताक्षर ।

पता -----

द्वितीय अनुसूची

[धारा - 7 (2)]

नियुक्ति के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

नाम-----आत्मज-----निवासी-----
----- को उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स अधिनियम, 1963 की धारा 7 (2) के अधीन उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स का सदस्य नियुक्त किया गया है। जब वह वैधतः काम पर हो तो पुलिस के सहायक के रूप में सेवा करने या आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने में सहायता करने के लिए बुलाये जाने पर, उसे वही अधिकार, विशेषाधिकार और संरक्षण प्राप्त होंगे जो तत्समय प्रचलित किसी अधिनियम के अधीन नियुक्त पुलिस के तदनुरूप पद के किसी अधिकारी को प्राप्त हो और ऐसे अनुकूलनों तथा परिष्कारों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार उसमें करे उस पर पुलिस ऐक्ट, 1861 और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और विनियमों के उपबन्ध लागू होंगे ।

नियुक्ति का दिनांक -----

स्थान-----

दिनांक-----

नियत अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर ।